न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 31/2022 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2022/47

01. राजेश पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी पहलवान का बेरा हाल तहसील पूगल व जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार मण्डी विकास समिति बीकानेर कोठी नं. 8 बीकानेर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री बहादुर राम सुथार – अभिभाषक अपीलांट
राजकीय अभिभाषक – अभिभाषक रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांक 24.12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय नायक तहसीलदार मण्डी विकास समिति बीकानेर के आदेश 19.01.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूमि अपीलांट की कब्जेशुदा भूमि हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार, मंडी विकास समिति, बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 19.01.2022 द्वारा अपीलांट को उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार, मंडी विकास समिति, बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 19.01.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट लम्बे समय से करीबन 20 वर्षो से ग्राम पंचायत पुगल में शांति पुर्वक निवास करता आ रहा है। अपने निवास स्थान का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत पुगल को अनेकों बार निवेदन कर चुका है। परन्तु ग्राम पंचायत पुगल एवं मण्डी विकास समिति बीकाने के मध्य आपसी विवाद के कारण अपीलांट के निवास स्थान का पट्टा ग्राम पंचायत पुगल द्वारा अपीलांट की आवासीय भूमि का पट्टा जारी नही हो सका। अपीलांट को नायव तहसीलदार मण्डी विकास समिति का कोई नोटिस व सुचना प्राप्त नही हुई। दिनांक 25.01.2022 को एक बेदखली का नोटिस प्राप्त हुआ। उक्त नोटिस प्राप्त होने पर सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा बिना सुनवाई का अवसर दिए आदेश दिनांक 19.01.2022 पारित किया गया हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय नायव तहसीलदार मण्ड

संभागीय आयुक्त बीकानेर

विकास समिति बीकानेर दिनांक 19.01.2022 निरस्त किया जावें। अपीलांट का आवासिय मकान व बाड़ा की भूमि का नियमन कर निर्धारित प्रीमियम राशि जमा करवाकर पट्टा/लिज जारी करने के आदेश ग्राम पंचायत पुगल/मंडी विकास समिति बीकानेर को आदेशित करें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि खाजूवाला रोड़ पर ग्राम पंचायत के पास बॉर्डर हॉमगार्ड के सामने आरक्षित भूमि पर राजेश पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट द्वारा 20×150 पर पक्की चारदीवारी मय 20×30 दुकान बनाकर अपीलांट अवैध अतिक्रमी है। जिस पर न्यायालय नायब तहसीलदार, मंडी विकास समिति, बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 19.01.2022 द्वारा अपीलांट को उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश पारित कर दिए। जो नियमानुसार सही है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मंडी विकास समिति, बीकानेर ने किसी भी प्रकार का अनियमित एवं अवैधानिक कार्य नहीं किया। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांतों तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। प्रकरण में मौका रिपोर्ट पटवारी के अनुसार इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अपीलांट ने उक्त वादगत भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मंडी विकास समिति, बीकानेर ने प्रकरण में अतिक्रमी को धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अधीन नोटिस जारी किए गए एवं मौके पर चस्पा भी किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मंडी विकास समिति, बीकानेर ने राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित किया। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में हम अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मंडी विकास समिति, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मंडी विकास समिति, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2022 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

6– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर